

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-14/2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० भाग्य लक्ष्मीमाला, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-15.01.2025 के प्रभाव से प्रथम संतान हेतु कुल-180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-14/2025-225(17) पटना, दिनांक :- 06/03/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, सुपौल/प्रभारी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० भाग्य लक्ष्मीमाला, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rev. Kumar
06/03/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।